

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राजस्थान)

(पीवासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सिंहपुर)

धारा अर्न्तगत - 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 721/2025 दायर दिनांक 11/10/2025 निर्णय दिनांक 25/10/2025 रिपोर्ट

985

शुद्ध प्रतिष्ठी

शुद्ध प्रविष्ठी

शुद्ध प्रविष्ठी

क.स. 1	नाम ग्राम राजपुरा	ख्याता नम्बर 62	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बडौदा राज. 0.क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्ठी 1. राजमल पिता मिठु हिस्सा पूर्ण जाति तेली सा. निम्बाहेडा खेतदार राहिन हिस्सा पूर्ण (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	शुद्ध प्रतिष्ठी 1 राजमल पिता मिठु हिस्सा पूर्ण जाति तेली सा. निम्बाहेडा खेतदार राहिन हिस्सा पूर्ण (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	हस्ताक्षर निरदावर मोहर हस्ताक्षर तहसीलदार मय मोहर 411 04.10.25 तहसीलदार कपासन जिला-चितौड़गढ़ (राज.)	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. स. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 62 में वर्तमान प्रविष्ठी बडौदा राज.0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हस्ताक्षर निरदावर	हस्ताक्षर तहसीलदार मय मोहर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन		

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
कपासन जिला-चितौड़गढ़

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गढ़